बिहार सरकार
**ग्रामीण विकास विभाग**
**(बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी)**

दिनांक-:-**14/08/2022**

प्रेषक,

**राहुल कुमार,** भा०प्र०से०,
आयुक्त, मनरेगा।

सेवा में,

**जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
**उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
गया, नवादा।

**विषयः गया एवं नवादा जिले अंतर्गत अमृत सरोवर निर्माण योजना के कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि BRDS कार्यालय पत्रांक I/27225/2022 दिनांक 03-07-2022 के आलोक में गया एवं नवादा जिले में जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से अमृत सरोवर के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 11.07.2022 को राज्य स्तरीय दल द्वारा गया जिले के 03 प्रखण्ड यथा-डुमरिया, इमामगंज एवं वजीरगंज एवं दिनांक 12.07.2022 को नवादा जिले के हिसुआ प्रखण्ड का भ्रमण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा भ्रमण के दौरान जो तथ्य पाए गए उससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि योजनाओं का प्राक्कलन का निर्माण बिना स्थल निरीक्षण किये हुए किया जा रहा है। साथ ही योजनाओं की तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारियों के द्वारा भी स्वीकृति के पूर्व प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है। फलस्वरूप प्रस्तावित योजनाओं का प्राक्कलन inflated अथवा बढ़ाकर बनाया जा रहा है, जिससे योजना के कार्यान्यवन में अनियमितता की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता हैं तथा इससे कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होने की सम्भावना बन रही हैं ।उदाहरण स्वरुप गया जिलान्तर्गत वजीरगंज प्रखण्ड के नवादा पंचायत में क्रियान्वित अमृत सरोवर की प्राक्कलित राशि 25.56 लाख है तथा प्राक्कलन में तालाब के जीर्णोधार में 09 फीट मिट्टी कटाई का प्रावधान एकरुप में तालाब के पुरे क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो असामान्य है एवं तालाब के अंदर की मिट्टी की कटाई भी सेक्शन बना कर नहीं की जा रही है।साथ ही Inlet/Outlet के लिये स्थल का निर्धारण पानी की जलधारण क्षमता के आधार पर नहीं किया जा रहा है एवं किसी भी तालाब का जलागम क्षेत्र (Catchment area) की आकलन भी नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया की तालाब के बाँध का Layering (Layer wise compaction of bunds) नहीं किया जा रहा है जो योजना के कार्यान्यवन के क्रम में गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण के अभाव को स्पष्टत: परिलक्षित करता हैं ।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेशित है की संबंधित अमृत सरोवर के प्राक्कलन तैयार करने वाले तथा स्वीकृति प्रदान करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों से इस संबंध में कारण पृच्छा की जाये। साथ ही अमृत सरोवर की चल रही योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितो को अपने अपने स्तर से निदेशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये ताकि गुणवत्तापूर्ण संपत्ति का सृजन किया जा सके।

अनुलग्नक: **यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

Signed by Rahul Kumar
Date: 14-08-2022 12:38:01
Reason: Approved

**(राहुल कुमार)**
आयुक्त, मनरेगा।

**प्रतिलिपि:** जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, गया एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

517
23/07/2022

**प्रेषक,**

**श्री अनीश रंजन राव,**
**राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,**
**BRDS, पटना |**

**सेवा में,**

**आयुक्त, मनरेगा-सह-**
**मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,**
**BRDS, पटना |**

आयुक्त मनरेगा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रा०वि०वि०, पटना

विषय: जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत महात्मा गाँधी नरेगा से गया एवं नवादा जिले में अमृत सरोवर के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन के किये गये अध्ययन के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में |

प्रसंग: कार्यालय पत्रांक I/27225/2022, दिनांक 03.07.2022

Spo(Amish)

महाशय,

उपर्युक्त विषयाधीन प्रासंगिक पत्र के द्वारा गया एवं नवादा जिले में जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत महात्मा गाँधी नरेगा से अमृत सरोवर के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन के अध्ययन के संबंध में दिये गये निदेश के आलोक में राज्य स्तरीय जाँच दल द्वारा दिनांक 11-12 जुलाई 2022 को गया जिले के 03 प्रखण्ड एवं नवादा जिले के 01 प्रखण्ड का भ्रमण किया गया |

अतः उपरोक्त के आलोक में भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन भवदीय के सूचनार्थ प्रेषित |

अनु:- यथोक्त ।

Urgent
Asst. Ranjit
23/7

19/07

**(अनीश रंजन राव)**
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक

4176
19-07-2022

जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत महात्मा गाँधी नरेगा से अमृत सरोवर के निर्माण कार्य के कार्यान्यवन के अध्ययन के सम्बन्ध में निर्गत बी०आर०डी०एस० के पत्रांक I/27225/2022 दिनांक 03/07/2022 के अनुपालन के क्रम में राज्य स्तरीय दल, जिसमे ICRG के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे के द्वारा दिनांक 11-12 जुलाई 2022 को दक्षिण बिहार के दो जिलों - गया और नवादा - का प्रक्षेत्र भ्रमण कर कुल 04 प्रखंडों में (गया जिले के 03 प्रखंड तथा नवादा जिले के 01 प्रखंड) अमृत सरोवर निर्माण के कार्य का अध्ययन किया गया । भ्रमण के क्रम में अमृत सरोवर के निर्माण कार्य की गतिविधियों में जो अपूर्णता पायी गयी वो निम्नलिखित हैं :-

**जिला- गया**

1. **प्रखंड डुमरिया** के **मोकला पंचायत** में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य जिस स्थल पर कार्यान्वित किया जा रहा हैं वस्तुतः वह स्थल नाले में अवस्थित है। उक्त योजना की स्वीकृत राशि रु 17.73 लाख है। कार्यस्थल पर अब तक जो कार्य किया गया हैं, उसमे तालाब के बांध का Layering (Layer wise compaction of bunds) नहीं किया गया है, Outlet का निर्माण सही स्थान पर नहीं किया गया है । तालाब का Design नहीं बनाया गया है ।
2. **प्रखंड इमामगंज** के **पकरी गुरिया पंचायत** में कार्यान्वित किये जा रहे अमृत सरोवर का Inlet और Outlet का प्रावधान सही स्थान पर नहीं किया गया है । तालाब के बांध की मिट्टी का Layering (Layer wise compaction of bunds) नहीं किया गया है । तालाब के अन्दर मिट्टी की कटाई सेक्सन काट कर नहीं किया गया है ।
3. **प्रखंड वजीरगंज** के **नवादा पंचायत** में कार्यान्वित किये जा रहे अमृत सरोवर की स्वीकृत राशि रु 25.56 लाख है तथा कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त तालाब के जीर्णोधार में 9 फीट मिटटी कटाई का प्रावधान एकरूप में तालाब के पूरे क्षेत्र में प्रस्तावित हैं जो असामान्य हैं । तालाब के अन्दर मिट्टी की कटाई सेक्सन बना कर नहीं किया जा रहा है । Outlet सही जगह पर नही बनाया गया है । कार्यस्थल पर उपलब्ध कई मजदूरों का नाम मस्टर रोल पर नहीं था । तालाब के बांध की मिट्टी का Layering (Layer wise compaction of bunds ) नहीं किया जा रहा है ।

**जिला- नवादा**

1. **प्रखंड हिसुआ** के **चितरघट्टी पंचायत** में अमृत सरोवर तालाब का निर्माण पहाड़ी के नीचे किया जा रहा है जो तकनीकी रूप से सही नहीं है, तालाब के बांध को मिट्टी का Layering (Layer wise compaction of bunds) नहीं किया जा रहा है । अगर तालाब वहां बनाया जायेगा तो पानी का भराव नहीं होगा ।

**1104724/2022/SECTION 1-BRDS**

2. **प्रखंड हिसुआ** के **दोनों पंचायत** में पुराने तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है जहाँ Inlet को गलत तरह से बनाया जा रहा है तथा तालाब में Outlet नहीं बनाया जा रहा है । तालाब के अन्दर मिट्टी की कटाई सेक्सन बनाकर नही काटा जा रहा है। तालाब में पहले से पक्का पुराना संरचना है जिसे प्राक्कलन की गणना में existing के रूप में नहीं दिखाया गया हैं। बांध की मिट्टी को Layering (Layer wise compaction of bunds ) नहीं किया गया है।

**निष्कर्ष** :- भ्रमण के दौरान जल -जीवन -हरियाली अंतर्गत महात्मा गाँधी नरेगा से कार्यान्वित अमृत सरोवर के भ्रमण किये गए सभी कार्यस्थलो पर पाया गया कि प्राक्कलन निर्माण में section wise मिटटी कटाई का प्रावधान नहीं किया गया हैं अपितु पूरे तालाब क्षेत्र में एकरूप ढंग से मिटटी कटाई का प्रावधान किया गया हैं । अमृत सरोवर में बांध का ढाल (Slope) सही नही है, तालाब के बांध का Layering (Layer wise compaction of bunds ) नहीं किया जा रहा है । Inlet/Outlet के लिए स्थल का निर्धारण पानी की जलधारण क्षमता के आधार पर नहीं किया गया है । किसी भी तालाब का जलागम क्षेत्र (Catchment area) की गणना नहीं किया गया है । कार्यान्यवन की अबतक की स्थिति को देखते हुए कार्यान्यवन के दौरान योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण का अभाव स्पष्ट परिलक्षित होता हैं ।

(डॉ कृष्णमुरारी) (शुभेन्दु सान्याल) (अनीश रंजन राव)